email / Fax

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग–9
संख्या–1613 / छः–पु0–9–19–20(10)(16) / 88टी.सी.
लखनऊः दिनांकः 10 जून,2019

अधिसूचना
(शक्ति)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या–02 सन् 1974) की धारा–21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय, राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा जून, 2019 (SEMESTER SYSTEM/ANNUAL SYSTEM/DUAL SYSTEM) के समस्त केन्द्रों के केन्द्र अधीक्षकों को **दिनांक 10.06.2019 से दिनांक 15.06.2019, दिनांक 18.06.2019 से दिनांक 21.06.2019, दिनांक 25.06.2019 से 29.06.2019 तथा दिनांक 01.07.2019 से दिनांक 02.07.2019** तक के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहलायेंगे, नियुक्त करते हैं और उन्हें सम्बन्धित केन्द्र, जिनके वे अधीक्षक हैं, की सीमा के भीतर के क्षेत्रों के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ऐसी सभी शक्तियां प्रदान करते हैं, जो उक्त संहिता के अधीन ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की जा सकती हैं।

भगवान स्वरूप
सचिव।

संख्या–1613(1) / छः–पु0–9–19, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद की प्रतिलिपि सहित, निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–4, खण्ड–**"ख"** में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया अधिसूचना की मुद्रित 10 गजट प्रतियां शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

वीरेन्द्र सिंह
अनु सचिव।

संख्या–1613(2) / छः–पु0–9–19, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
(4) सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्ध शा0पत्रसं0–9259 / रा0व्या0प्रशि0परि0 / अ0भा0व्या0परी0,जून–2019 / ईएक्स–005, दिनांक 23.05.2019 के संदर्भ में।
(5) अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा परिषद, उ0प्र0, अलीगंज, लखनऊ।
(6) समस्त केन्द्र अधीक्षक, **द्वारा–व्यावसायिक परीक्षा परिषद, उ0प्र0, अलीगंज, लखनऊ।**
(7) गोपन अनुभाग–2
(8) **प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को आनलाइन निर्गमन हेतु।**
(9) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

E: Data Police-9 Pramod Rai R O Notification DRAFT 7921